

Disposed
2016/00001

Form No. 111

फर्द अहकाम

नियम 20

जज अदालत उपखंड अधिकारी मुकाम कोटड़ा
घनिया बनाम साहिवा
किस्म मुकदमा 88 साहिवा नं. 7/16 सन

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
-------------	------------------------------------	---

22/6/16

पगावली राजस्व बोर्ड अदालत सिपिर (न्याय आपके हाट) मुकाम मेड़ी में प्रस्तुत वाली पक्ष हात धरिनापत्र दावा प्रस्तुत कर कथन है की मुलपुरुष दला हमारे दादा थ जिन्हे ही पुत्र केहरा एवं दला हुइ वक्क सेटलमेन्ट दादा की मौजा देहरी में दो जगह भूमि होने से इक्क बडे पुत्र केहरा के एवं इसी भूमि छोटे पुत्र दला के नाम दर्प हो गई। केहरा की मृत्यु के बाद इससे दो पुत्र घनिया एवं साहिवा हुइं साथ ही एवं दला की मृत्यु के बाद साहिवा एवं चुनीलाल हुइं जिसमें चुनीलाल का नाम दर्प नहीं हुआ है। वर्तमान में हम चारों भाई दोनो भूमि पर बराबर बराबर हिस्सेनुसार कच्चे काश्त फले खा रहे हैं शौतिपूर्वक कृषि कार्य कर रहे हैं। हम चारों भाई देहरी की दोनो भूमि पर नाम फुडवाना चाहते हैं जिसका राजीमाना प्रस्तुत किया। जो बाद सत्यापन दर्प रजिस्टर किया जा कर पगावली का अवलोकन किया गया साथ ही सजरा एवं वक्क सेटलमेन्ट की जमाबंदी छुटकार पगावली का अवलोकन किया गया।

अतः मौजा देहरी पटवार हल्का मेड़ी की जमाबंदी संवत् 2071 से 74 के खाता संख्या 37 में वर्णित क्षातजीयात कुल कित 3 रकबा 2.13 का घनिया, उदिया पिता केहरा को 1/2 एवं साहिवा, चुनीलाल पिता दला को 1/2

डिक्री व मुकदमें इबतदाई
(आदेश 20 के नियम 6 और 7 सि.प्र.सं.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ^{कोटडा} मोमुन्द जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी श्री गोपाल लाल मीना (RAS) कोटडा

मुकदमा 7/16 सन 22/6/16 सीगह

श्री धनिया, उदिया पिता केहरा बनाम सारवा, उन्नीलाल पिता कला
निवासी - मेड़ी निवासी मेड़ी

दावा बाबत 88 RT Act.

यह मुकदमा आज वास्ते अन्तिम निपटारा किये जाने श्री गोपाल लाल मीना के समक्ष प्रस्तुत हुआ।

वादी की ओर से वकील श्री - प्रतिवादी की ओर से वकील -

की उपस्थिति में आदेश दिया जाता है और डिक्री दी जाती है कि

पत्वार की मेड़ी तहसील कोटडा की जमावन्दी सेवत 2071 में 74 के खाता संख्या 37 में वणित आराजीवात कुल कित 3 रकबा 2.13 का धनिया, उदिया, पिता केहरा का 1/2 इय सारवा, उन्नीलाल पिता कला का 1/2 खाता नं 107 में वणित आराजीवात कुल कित 15 रकबा 9.11 का धनिया उदिया पिता केहरा का 1/2 इय सारवा, उन्नीलाल पिता कला का 1/2 खातेदार कारतकार घोषित किया जाता है।

और इस वाद के खर्चे लेखे - रुपये की राशि - आज की तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर प्रतिशत की दर से ब्याज सहित द्वारा को दी जाये।

यह आज तारीख 22/06/16 मार सन को मेरे से हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई है।

(गोपाल लाल मीना)
हस्ताक्षर न्यायाधीश
उपखण्ड अधिकारी
कोटडा जिला उदयपुर

वाद के खर्चे

वादी	रुपये	पैसे	प्रतिवादी	रुपये	पैसे
वाद पत्र के लिये स्टाम्प स्टाम्प वकालात नामा प्रदर्शों के लिये स्टाम्प महनताना वकील) पर खर्चा गवाह फीस कमिश्नर आदेशित की तामील विविध खर्चे			स्टाम्प प्रार्थना पत्र स्टाम्प वकालात नामा प्रदर्शों के लिये स्टाम्प महनताना वकील) पर खर्चा गवाह फीस कमिश्नर आदेशित की तामील विविध खर्चे		
योग			योग		